पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद): (क) दन्तैल हाथी विशन बहादुर को केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम "हाथी परियोजना" के तहत नहीं पकड़ा गया था बल्कि उसे मध्य प्रदेश शासन द्वारा राज्य आयोजना के तहत 32,945 रु० की राशि खर्च करके 13.7.95 को पकड़ा गया था। इस मंत्रालय में राज्य आयोजना के तहत व्यय के शीर्ष वार ब्यौरे नहीं रखे जाते हैं।

(ख) और (ग) 20.10.1995 को इस हाथी की मृत्यु श्वासावरोध के कारण होना बताया गया है न कि उचित उपचार नहीं किए जाने के कारण पशु चिकित्सकों के पर्यवेक्षण के तहत इसके खुराक और चिकित्सकीय उपचार की उचित व्यवस्थाएं की गई थी।

(घ) दन्तैल हाथी की मृत्यु के लिए किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी को उत्तरदायी नहीं ठहराया जाना बताया गया है। अतः कार्रवाई करने का प्रश्न नहीं उठता है।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा उत्खनन और रख-रखाव

1459. **श्री नागेन्द्र नाथ ओझा:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण पुरातत्व की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण स्थानों के उत्खनन और रख-रखाव का कार्य करता है;

(ख) यदि हां, तो बिहार में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की देख-रेख में कितने स्थान हैं और उनके नाम क्या-क्या हैं; और

(ग) पिछले दस वर्षों के दौरान नये स्थलों के उत्खनन और रख-रखाव के संबंध में क्या-क्या कार्य किये गये हैं और उस पर कितनी धनराशि खर्च की गयी है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस०आर० बोम्मई): (क) जी, हां।

(ख) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण बिहार में कुल 76 स्थलों तथा स्मारकों का संरक्षण एवं रखरखाव करता है। सूची विवरण के रूप में संलग्न है (नीचे देखिए)

(ग) पिछले दस वर्षों के दौरान बिहार में अशोक धाम, जिला लखीसारी, कुशी, कान्ती एवं कोल्हुआ, जिला मुजफ्फरपुर; राजा विशाल का गढ़ तथा चेचर, जिला वैशाली तथा डुल्मी, जिला सिंहभूम में प्राचीन स्थलों की खुदाई की गयी है। जहां तक उत्खनन पर व्यय की गई धनराशि का संबंध है, इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि वित्तीय वर्ष 31 मार्च को समाप्त होता है, जबकि कई मामलों में उत्खनन कार्य इस तारीख के बाद अगले वर्ष भी चलता रहता है। किसी भी स्थल के उत्खनन कार्य पर किए गए वास्तविक व्यय का सही-सही ब्यौरा तैयार करना संभव नहीं है। इसके अलावा, उत्खनन कार्य के लिए निर्धारित धनराशि का उपयोग इससे संबद्ध कार्य यानी प्रशिक्षण तथा स्थलों एवं पुरावशेषों के मानचित्र तैयार करने, दस्तावेज बनाने तथा रखरखाव में भी किया जाता है। तथापि इन स्थलों के उत्खनित अवशेषों के रखरखाव/संरक्षण पर 7,25,345/-रुपये की धनराशि खर्च की गई है।

विवरण

बिहार में केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारकों/स्थलों की सूची

क्रम सं०	स्थान	स्मारक/स्थल का नाम
1	2	3
	जिला औरंगाबाद	
1.	शमशेरनगर	शमशेर खान का मकबरा
	जिला भागलपुर	
2.	अन्तिचाक माथोरापुर एवं ढरियप	विक्रमशिला मठ का प्राचीन स्थल
3.	गोलगोंग	शैल मंदिर
4.	माथोरापुर	पत्थरघाट पहाड़ी पर बटेश्वर गुफा से लगी हुई पातालपुरी गुफा एवं भूमि
5.	पत्थरघाट	शैल प्रतिमाएं
	जिला पूर्व चम्पारण	
6.	चांकी	भग्न दुर्ग, चाकीगढ़
7.	मारहिया	नंदनगढ़ स्थित किले का परकोटा
8.	—वही—	नंदनगढ़ स्थित भग्न दुर्ग
9.	—वही—	वैदिक समाधि टीले
10.	पकरी	वैदिक समाधि टीले
11.	सागर्दिह	किले के अवशेष
12.	ताजपुर देयूर	बौद्ध स्तूप

1	2	3
		जिला पश्चिम चम्पारण
13.	लौरिया अरेराज	लौर स्तम्भ के नाम से प्रसिद्ध अशोक स्तम्भ
14.	लौरिया	अशोक-स्तम्भ
15.	—वही—	वैदिक समाधि टीले
16.	रामपुरवा	अशोक-स्तम्भ
		जिला दरभंगा
17.	पॉचूखी	स्थानीय तौर पर राजा बाली का गढ़ के नाम से प्रसिद्ध प्राचीन किले अथवा गढ़ के अवशेष
		जिला गया
18.	बाराबार तथा नागार्जुनी पहाड़ियां	गोपी की गुफा
19.	—वही—	करन चौपर की गुफा
20.	—वही—	लोमस ऋषि की गुफा
21.	—वही—	सुदामा की गुफा
22.	—वही—	वैदेहिक की गुफा
23.	—वही—	वापियाका की गुफा
24.	—वही—	विश्व झोपा की गुफा
25.	बखरौर बौद्ध विहार	स्थानीय तौर पर कुबारा गढ़ के नाम से प्रसिद्ध प्राचीन स्तूप एवं अन्य अवशेष।
26.	घेजा	शेड के नीचे से एकत्र की गई प्राचीन बौद्ध प्रतिमाएं एवं मूर्तियां।
27.	गुनारी	शेड के नीचे से एकत्र की गई प्राचीन बौद्ध मूर्ति तथा अन्य मूर्तियां एवं प्रतिमाएं।
28.	विष्णुपुर-तोरमाण हसरा एवं जगदीशपुर	हसरा कील के नाम से प्रसिद्ध घाटी में प्राचीन टीले।
29.	—वही—	सोखनाथ के नाम से प्रसिद्ध पहाड़ी में प्राचीन टीले
		जिला नालंदा
30.	बिहार	परकोटों तथा किला के नाम से प्रसिद्ध पुराने किले में स्थित "क्वीन्स पैलेस" के नाम से सम्बन्धतः विख्यात टीले के अवशेष।
31.	बिहार	मलिक इब्राहिम बेया का मकबरा
32.	मेढ़ाकटोरा	गढ़ के नाम से प्रसिद्ध प्राचीन अवशेष
33.	नालंदा (बेरगॉव)	अधिगृहित क्षेत्र में लगाई गई बाड़ के भीतर के सभी टीले, संरचनाएं एवं भवन।
34.	ग्राम अहियापुर मानेर	प्राचीन टीला एवं ईंट की बनी ध्वस्त दीवारें
35.	—वही—	—वही—
36.	राजगीर	1. उक्त दीवालों से बनी चहारदीवारी क्षेत्र के भीतर सभी प्राचीन भवन तथा अन्य स्मारक अथवा अवशेष।
		2. सभी प्राचीन भवन एवं सभी कृत्रिम गुफाएं तथा टीले जिनमें वे प्राचीन अवशेष शामिल हैं जो पुराने तथा नए राजगृह के नाम से प्रसिद्ध उक्त दो प्राचीन नगरों से आधे मील की दूरी के भीतर स्थित है।
		3. पुराने एवं नए राजगृह के नाम से प्रसिद्ध दो प्राचीन नगरों की दीवारें।
		जिला नवादा
37.	कुरीसराय	कुण्डल पर्वत की कुछ चट्टानों एवं शिलाखंडों के दक्षिणी एवं पूर्वी और उन पर उत्कीर्ण विभिन्न हिन्दू देवताओं की प्रतिमाएं।
38.	कुरीसराय	कुण्डल पर्वत के दक्षिण पूर्वी कोने से 12 फीट की दूरी पर स्थित एक अकेली गोल शिलाखंड पर उत्कीर्ण विभिन्न हिन्दी देवताओं की प्रतिमाएं।

1	2	3
39.	कुरीसराय	कुन्डल पर्वत की कुछ चट्टानों के उत्तरी तथा पूर्वी ओर उन पर उत्कीर्ण विभिन्न हिन्दू देवताओं की प्रतिमाएं।
40.	कुरीसराय	कुन्डल पर्वत के पूर्वी ओर एक आयताकार अकेली शिलाखंड के चारों और उत्कीर्ण चार हिन्दू देवताओं की प्रतिमाएं।
41.	—वही—	प्राचीन अवशेष समूह जिसमें बुद्ध की एक विशाल मूर्ति कुछ असंगठित प्रतिमाएं तथा तेरह बलुआ पत्थर के स्तम्भ हैं।
42.	कर्कहिार	सामान्यतः गढ़ के नाम से प्रसिद्ध क्षेत्र।
43.	लाट	लाट के नाम से प्रसिद्ध प्राचीन एकाश्य स्तम्भ।
	जिला मुजफ्फरपुर	
44.	कोल्हुआ	अशोक-स्तम्भ
	जिला पटना	
45.	बुलंदीपुर	"बलंदीबाग" के नाम से प्रसिद्ध कब्र।
46.	छोटी पहाड़ी	"छोटी पहाड़ी" के नाम से प्रसिद्ध टीला अथवा स्तूप।
47.	कुम्रहार	अशोक के महल का माना जाने वाला स्थल।
48.	मोहल्ला संदेलपुर	लकड़ी के बने भवनों एवं प्राचीन मौर्यकालीन दीवारों के अवशेष
49.	मानेर	हौज
50.	—वही—	शाह मुखदम दौलत मानेरी तथा इब्राहिम खान की कब्रें।
51.	पाहारिद्ध	पाँच स्तूप अथवा "पंच पहाड़ी" के नाम से प्रसिद्ध टीले।
52.	पटना	1. एब्लूशन टैंक
		2. मीर अशरफ की जामा मस्जिद
		3. पक्का कुआं
	जिला राँची	
53.	हन्सा	असुर-स्थल
54.	कोठारटोली	—वही—
55.	खेपेट्टा	प्राचीन शैल मंदिर जिसके भीतर एक लघु शिवलिंग है।
56.	खुन्तीटोला	असुर-स्थल
57.	कुंजला	—वही—
58.	सरीद्केल	—वही—
	जिला रोहतास	
59.	आशिकपुर	चंदन शहीद पहाड़ी पर अशोक का शिलालेख
60.	बक्सर	प्राचीन टीला
61.	कोटा	1. ताराचन्डी मंदिर से लगी गुफा के अन्दर बने शैलाश्रय में स्थित संवत 1225 की एक उत्कीर्ण चट्टान जिस पर नागरी अक्षरों में लिखी हुई 6 पंक्तियां हैं।
		2. उपर्युक्त वर्णित शैलाश्रय में सं॰ 1 के सामने इससे पहले के नागरी अक्षरों में दो अन्य पंक्तियों का शिला लेख है।
		3. इस शैलाश्रय के ऊपर अरबी अक्षरों में तीन पंक्तियों का एक अन्य शिलालेख है जिसके शुरू में दाहिनी ओर ये पंक्तियां उभरी हुई उत्कीर्ण हैं।
62.	मलिक सराय	बख्तयार खान का मकबरा
63.	पौरा	मुंडेश्वरी का मंदिर
64.	रोहतासगढ़	रोहतासगढ़ किला
65.	सासाराम	हसन सूर शाह का मकबरा
66.	—वही—	1. शेरशाह का मकबरा
		2. हौज

1	2	3
		3. इसकी दीवालें 4. घाट 5. पार्श्विक उच्च स्तम्भ उत्तरी प्रवेशद्वार और पुल। 6. शेरशाह के मकबरे के पश्चिम में प्रवेश द्वार (दिल्ली दरवाजा)
	जिला सहरसा	
67.	बैगांव तथा महेशी	गोरादिह के नाम से प्रसिद्ध प्राचीन टीला
	जिला संथाल परगना	
68.	अरजी मुकीमपुर	बारादरी भवनों के खंडहर जिनके नीचे संभवतः छोटी-छोटी कोठरियां तथा मार्ग हैं।
69.	हदप	जामा मस्जिद।
	जिला सारन	
70.	माँझी	1. सभी प्राचीन भवन तथा अन्य स्मारक अथवा अवशेष और सभी कृत्रिम गुफाएं एवं टीले जिनमें उक्त प्राचीन नगर मांझी की सीमाओं के भीतर प्राचीन अवशेष हैं। 2. प्राचीन माँझी नगर के अवशेष।
	जिला सिंहभूम	
71.	वेणी सागर	1. बेनीसागर टैंक 2. उक्त हौज के दक्षिण-पूर्वी किनारे पर मंदिर एवं प्रतिमाओं के प्राचीन अवशेष।
72.	रुआम	प्राचीन किले का स्थल
73.	ईंटागढ़	प्राचीन टीला

1	2	3
	जिला वैशाली	
74.	बासाढ़	राजा वैसाल का गढ़ के नाम से प्रसिद्ध टीला
75.	हाजीपुर	जुमा मस्जिद
76.	हार्पुर बसोनी	तथा स्तूप के उत्खनित अवशेष
	चक्रमदास गांव	

Regulation of Pharmacy Education

1460. SHRI K. RAHMAN KHAN: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) what is the reason for the pharmacy education being regulated by AICTE when the Pharmacy Council is established under the Act to regulate pharmacy education;

(b) will it not amount to too many regulatory bodies; and

(c) whether Government will consider delinking pharmacy education either from Pharmacy Council or from AICTE similar to the dental and medical education?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF EDUCATION IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI MUHI RAM SAIKIA): (a) to (c) The Pharmacy Council of India under the Pharmacy Act regulates Pharmacy Education at Diploma Level for purposes of registration of Diploma Holders in Pharmacy whereas AICTE is for coordinated development of Technical Education including Architecture, Town Planning, Management, Applied Arts and Crafts and Pharmacy. In order to develop a cooperative plan of action the AICTE has proposed to the Pharmacy Council of India for signing a Memorandum of Understanding between the two Statutory Councils.